



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013-भाद्र 29, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

भागीदारी समाप्ति की सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सदगुरू स्टोन क्रेशर कार्यालय, 502, झंवर स्टेट, थाटीपुर, गांधी रोड, ग्वालियर दिनांक 28-06-2012 से अस्तित्व में आई थी जिसके तीनों भागीदार क्रमशः (1) मुरारी शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, (2) श्री विनोद अवस्थी पुत्र श्री रामदयाल अवस्थी एवम् (3) श्री मनोज पाराशर पुत्र श्री धनीराम पाराशर ने आपसी सहमति से दिनांक 02 सितम्बर, 2013 से फर्म को भंग कर दिया है. अब उक्त फर्म से तीनों भागीदारों का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा.

वास्ते मैसर्स सदगुरू स्टोन क्रेशर

मुरारी शर्मा, (भागीदार)

विनोद अवस्थी, (भागीदार)

मनोज पाराशर, (भागीदार)

(333-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. संगम ग्रेनाइट, टिकरया मोहल्ला, छतरपुर, जिला छतरपुर (म. प्र.) के अभी तीन पार्टनर हैं जिसमें 1. श्रीमती पुष्पा अग्रवाल पुत्री श्री बाबू लाल अग्रवाल, निवासी—गल्ला मंडी, छतरपुर, 2. श्रीमती सुनीता टिकरया पुत्री श्री रामप्रकाश सुहाने, निवासी—कल्याण भवन, मऊ दरवाजा, छतरपुर (म. प्र.), 3. श्रीमती रामवती गुप्ता पुत्री श्री रामसेवक गुप्ता, निवासी चौक बाजार, छतरपुर (म. प्र.) के नाम शामिल हैं. लेकिन अब इस फर्म मे. संगम ग्रेनाइट, टिकरया मोहल्ला, छतरपुर (म. प्र.) की पार्टनरशिप से स्वेच्छा से श्रीमती सुनीता टिकरया पुत्री श्री रामप्रकाश सुहाने एवं श्रीमती रामवती गुप्ता पुत्री श्री रामसेवक गुप्ता अलग हो रहे हैं. अब आज दिनांक 30-06-2013 तक किसी व्यक्ति या फर्म का श्रीमती सुनीता टिकरया एवं श्रीमती रामवती गुप्ता द्वारा फर्म मे. संगम ग्रेनाइट, टिकरया मोहल्ला, छतरपुर (म. प्र.) के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

(द्वारा)

पुष्पा अग्रवाल,

(भागीदार)

मे. संगम ग्रेनाइट,

टिकरया मोहल्ला, छतरपुर (म. प्र.).

(332-बी.)

आम सूचना

हमारी फर्म मे. श्री जयगुरुदेव बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स, छतरपुर (म. प्र.) जो कि दिनांक 09-07-2013 को शुरू की गई थी. जिसमें कुछ आंतरिक बदलाव करते हुए श्रीमति नीलू नामदेव के स्थान पर श्री नितिन नामदेव को नए पार्टनर के रूप में स्थापित किया गया है.

मे. श्री जयगुरुदेव बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स,
छतरपुर (म. प्र.)
राकेश पुरोहित,
(पार्टनर)

(341-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी के पहले मेरा नाम कुमारी सपना परियानी पुत्री हीरालाल परियानी था, शादी के बाद मेरा नाम लवीना भागचन्दानी पत्नी श्री दीपक भागचन्दानी हो गया है, भविष्य में मुझे मेरे नये नाम लवीना भागचन्दानी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(कु. सपना परियानी)

नया नाम :
(लवीना भागचन्दानी)
पत्नी श्री दीपक भागचन्दानी,
पता—70, ग्लोबस ग्रीन एयरपोर्ट रोड,
नयापुरा, लालघाटी, भोपाल (म. प्र.).

(339-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा का नाम शादी के पूर्व कुमारी सीमा बोरगॉवकर पुत्री स्व. श्री यशवन्त बोरगॉवकर था, किन्तु मेरी पक्षकारा की शादी होने के पश्चात् मेरी पक्षकारा के ससुराल का नाम वर्तमान में श्रीमती शुभांगी अनगरे पत्नी श्री शेखर अनगरे हो गया है. मेरी पक्षकारा को सीमा बोरगॉवकर की बजाय अब श्रीमती शुभांगी अनगरे कहा जाये. मेरी पक्षकारा का नाम शासन, कागजात अथवा किसी भी मार्कशीट, बैंक पासबुक में जहाँ-जहाँ सीमा बोरगॉवकर लिखा है के स्थान पर श्रीमती शुभांगी अनगरे मान्य किया जाये.

अतः सर्व-साधारण को इस आम सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा को अब श्रीमती शुभांगी अनगरे के नाम से जाना व पहचाना जावे, यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे कार्यालय में आकर सम्पर्क करें.

अनिल कुमार निगम,
(एडवोकेट)
जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.)

(340-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कुमारी पल्लवी चौधरी पिता श्री हेमराज चौधरी माता श्रीमति माया चौधरी को श्री बद्रीप्रसाद चौधरी एवं श्रीमति आशा चौधरी ने दिनांक 31-07-2012 को गोद लेकर दत्तक पुत्री स्वीकार किया गया है. अतः पल्लवी चौधरी को बद्रीप्रसाद चौधरी पिता एवं श्रीमति आशा चौधरी को माता के नाम से जाना व पहचाना जावे.

बद्रीप्रसाद चौधरी,
निवासी—क्वा. नं. 1135, टाईप ए,
आयुध नगर, इटारसी, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद, म. प्र.

(334-बी.)

CHANGE OF NAME

Be it known that I, Mukesh Mukati Son of Sohanlal Mukati and resident of House No. 129, Near Dairy, Village-Chhota Malsa Pura, Post-Siya, District Dewas-455001 (M. P.). Has change my name and hence-forth I, shall be known as Ravi Mukati to Mukesh Mukati in Future,

Old Name :

(RAVI MUKATI)

(335-B.)

New Name :

(MUKESH MUKATI)

ADDRESS—House No. 129, Near Dairy,
Village—Chhota Malsa Pura, Post-Siya,
District Dewas-455001 (M. P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सिद्धी कडूस्कर विवाह दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को श्री संकल्प कडूस्कर पुत्र श्री सुनील कडूस्कर, निवासी—गली नं. 8, सावरकर कॉलोनी, गुड़ा, लश्कर, ग्वालियर के साथ सम्पन्न हुआ था. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दीपिका जाधव पुत्री स्व. श्री बापू साहब जाधव था. विवाह उपरांत हमारे रीति रिवाज अनुसार मेरा नाम सिद्धी कडूस्कर हो गया है.

अतः मुझे मेरे नये नाम सिद्धी कडूस्कर से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. दीपिका जाधव)

पुत्री स्व. श्री बापू साहब जाधव,
ए-34/35, न्यू शान्ति नगर,
ग्वालियर.

(336-बी.)

नया नाम :

(सिद्धी कडूस्कर)

पत्नी श्री संकल्प कडूस्कर,
गली नं. 8, सावरकर कॉलोनी,
गुड़ा, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अपने बेटे का नाम मुस्कान जैन था, जो अब बदलकर मोक्ष जैन कर दिया है. आगे से उन्हें मोक्ष जैन के नए नाम से जाना जाए.

हेमंत जैन, (पिता)

131, श्रमिक कॉलोनी,

ए. बी. रोड, राऊ,

जिला इन्दौर (म. प्र.).

(337-बी.)

CHANGE IN NAME

My Name is Shriram Narayan Vaware, But in my daughter's & Son's marksheet my & my wifes (including children) surname's spelling written as Shriram Narayan Wavre (S N Wavre), Rekha Wavre, Priya Wavre & Praveen Wavre that's wrong spelling. Henceforth kindly read-write my & my dependent membe's surname's spelling as Shriram Narayan Vaware, Rekha Vaware, Priya Vaware & Praveen Vaware in place of "Wavre".

SHRIRAM NARAYAN VAWARE,

(Father)

232/3, Attrack Line,

Near Military Hospital,

Mhow, Indore (M. P.).

(338-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

प्र.क्र 2/बी-113/S.D.O./2012-13.

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30 सन् 1951 और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1962 के अन्तर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उप धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है.

अतएव मैं, संजय कुमार श्रीवास्तव, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 27-09-13 इस मामले की जाँच करना चाहता हूँ.

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता : श्री सुदर्शन स्मृति न्यास, बरेली, जिला रायसेन.

चल सम्पत्ति का विवरण :

1. हीरेन्द्र मालवीय आ. धन्नालाल मालवीय, जिला रायसेन में स्थापित करना चाहते हैं (स्थान जहां की न्यास का मुख्य कार्यालय या कारवार का मुख्य स्थान अवस्थित मालवीय आटो पार्स, जे. जे. रोड, काली मंदिर के पास, बरेली).
2. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की नीति न्यास विलेख के अनुसार रहेगी.
3. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे संलग्न दस्तावेज के अनुसार रहेंगे.
4. न्यास के सम्बन्ध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.
5. चल सम्पत्ति ऐसे सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग के प्राक्कलित मूल्य के साथ रुपये 21,000/-

अचल सम्पत्ति का विवरण : 1. वर्तमान में कुछ नहीं.

न्यास की आय के स्रोत : दान चन्दा व अन्य सहयोग.

वार्षिक औसत सकल वार्षिक आय— राशि 1,10,000 रुपये(एक लाख दस हजार रुपये मात्र).

क. न्यासियों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर	निल
ख. स्थापना एवं कर्मचारी वृन्दा पर	25,000.00
ग. धार्मिक उद्देश्यों पर	20,000.00
घ. पूर्ति उद्देश्यों पर	60,000.00
ङ. विविध मदों पर	5,000.00

न्यास सम्पत्ति के विललंगम के ब्यौरे यदि कोई हो—कोई नहीं

न्यास सम्पत्ति से संबंधित हक विलेख के ब्यौरे और —कोई नहीं

इनके आधिपत्य में होने वाले न्यासियों के नाम.

वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट	बनाया जावेगा
टिप्पणी यदि कोई हो तो	कुछ नहीं

रु. 500 शुल्क स्टाम्प प्रकरण में संलग्न किया है.

न्यासी एवं प्रबंधक को न्यास के संबंध में कोई सूचना निम्नानुसार पते पर भेजी जा सकती है :—

नाम : श्री हीरेन्द्र मालवीय

पता : मालवीय ऑटो पार्ट्स, जे. जे. रोड, काली मंदिर के पास, बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

यहकि निर्मांकित न्यास निर्माणकर्ता :—

1. श्री हीरेन्द्र मालवीय आ. धन्नालाल मालवीय, मालवीय ऑटो पार्ट्स, जे. जे. रोड, काली मंदिर के पास, बरेली, जिला रायसेन, म.प्र.
2. श्री राधेश्याम पालीवाल आ. श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल, निवासी—नाहर कॉलोनी, बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन, म.प्र.
3. श्री धनराज सिंह ठाकुर आ. श्री धरमदास ठाकुर, निवासी—मु. पोस्ट हरसिली, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन.

न्यास की सदस्यता प्रबंधकारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देख-रेख, वित्तीय कार्यों की देख-रेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

संजय कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(470)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, पुनासा

प्र. क्र. /बी-113(1)/2012-13.

दिनांक 27 अगस्त, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि अध्यक्ष एवं प्रबंधक ट्रस्टी महंत रामदास गुरु श्री 1008 योगीराज सीतारामदासजी महाराज, निवासी श्री पयहारी योगाश्रम, ब्रम्हपुरी ओंकारेश्वर ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	..	श्री पयहारी योगाश्रम लोक न्यास, ब्रम्हपुरी ओंकारेश्वर.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 10,000/- बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खण्डवा में जमा.
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम गोदडपुरा (ओंकारेश्वर) प. ह. नं. 5, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा स्थित नजूल भूमि शीट नं. 40/5 रकबा 13.999 हैक्टेयर पैकी 90 × 50 कुल 4500 वर्गफीट पर निर्मित आश्रम व मंदिर, रसोई घर, आश्रम भूतल पर एवं ऊपर दो मंजिला पक्का आरसीसी का बना है. जिसकी अनुमानित कीमत 1.39 करोड़ रुपये.

हरिसिंह चौधरी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(471)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सेंधवा (सामान्य), वनमण्डल, सेंधवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वनमण्डल में निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2013 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे. जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी, इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

चराई वर्ष 2013-14 चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची (सेंधवा वनमण्डल, सामान्य)

परिक्षेत्र	वर्ष	चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम एवं कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4
वर्ष 2007-08			
			(हेक्टर में)
सेंधवा	2007-08	मोरतमाल, 211	50
--,,--	--,,--	भूरापानी, 217	30
--,,--	--,,--	वाक्या, 245	50
--,,--	--,,--	नांदया, 230	30
--,,--	--,,--	नांदया, 234	50
--,,--	--,,--	वाक्या, 246	30
पानसेमल	--,,--	तालाब	50
--,,--	--,,--	गोंदीकांचली	50
--,,--	--,,--	मलगॉव	50
--,,--	--,,--	सांपखड़की	50
--,,--	--,,--	भड़भड़ा	50
--,,--	--,,--	शिवनीपड़ावा	30
--,,--	--,,--	बायगौर	30
धनोरा	--,,--	सिरवेल, 299	30
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 303	30
--,,--	--,,--	भामपुरा, 290	30
--,,--	--,,--	कामोद, 292	30
--,,--	--,,--	रामगढ़ी, 309	30
--,,--	--,,--	राजनगांव, 270	30
--,,--	--,,--	चाचरिया, 271	30

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
धनोरा	2007-08	कड़ाईपानी, 255	30
--,,--	--,,--	किरचाली, 378	30
वरला	--,,--	मालवन, 207	50
--,,--	--,,--	अंबापानी, 209	50
--,,--	--,,--	अम्बावतार, 188	50
--,,--	--,,--	भालाबर्डी, 151	50
--,,--	--,,--	भालाबर्डी, 152	50
--,,--	--,,--	हिंगवा, 179	50
धवली	--,,--	अजगरिया, 104	50
--,,--	--,,--	अजगरिया, 104	50
--,,--	--,,--	अजगरिया, 105	50
--,,--	--,,--	जूनापानी, 68	50
--,,--	--,,--	सोनखेड़ी, 17	50
--,,--	--,,--	धावड़ा, 71	30
--,,--	--,,--	खोखरी, 95	50
--,,--	--,,--	अजगरिया, 105	50
योग . .			1500
वर्ष 2008-09			
सेंधवा	2008-09	मोहरतमाल, 212	30
--,,--	--,,--	भंवरगढ़, 210	30
--,,--	--,,--	नांदिया, 233	30
--,,--	--,,--	झिरपन, 241	30
--,,--	--,,--	वाक्या, 240	30
--,,--	--,,--	बखारिया, 229	30
पानसेमल	--,,--	केवड़ीदेवडी	50
--,,--	--,,--	खडीखम	50
--,,--	--,,--	कामठीनाला	50
--,,--	--,,--	गोंदीकांचली	50

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
पानसेमल	2008-09	शिवनीपडावा	50
धनोरा	--,,--	केलपानी, 223	30
--,,--	--,,--	कड़ाईपानी, 264	30
--,,--	--,,--	मुवास्या, 298	30
वरला	--,,--	छत्रीपडावा, 159	50
--,,--	--,,--	हिंगवा, 5	30
--,,--	--,,--	सोलवन, 205	30
--,,--	--,,--	मालवन, 208	30
--,,--	--,,--	चिलारिया, 158	50
--,,--	--,,--	डोगल्यापानी, 172	30
--,,--	--,,--	किरमला, 169	30
धवली	--,,--	अड़नदी, 75	50
--,,--	--,,--	खपाडा, 106	50
--,,--	--,,--	खोखरी, 109	50
--,,--	--,,--	सोनखेड़ी, 68	50
--,,--	--,,--	अजगरिया, 117	30
योग . .			1000
वर्ष 2008-09			
पानसेमल	2008-09	सांपखडकी	50
--,,--	--,,--	बायगौर	50
सैंधवा	--,,--	डाल्या, 227	50
--,,--	--,,--	वाक्या, 245	25
--,,--	--,,--	भंवरगढ़, 224	25
--,,--	--,,--	भंवरगढ़, 210	30
--,,--	--,,--	मोहाला, 235	40
वरला	--,,--	कुंडिया, 190	50
--,,--	--,,--	अंबापानी, 209	50
--,,--	--,,--	छत्रीपडावा, 159	50
--,,--	--,,--	महेन्द्रयापानी, 196	50

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
वरला	2008-09	डोगल्यापानी, 171	50
--,,--	--,,--	मालवन, 209	50
--,,--	--,,--	महेन्द्रयापानी, 196	50
--,,--	--,,--	किरमला, 169	50
--,,--	--,,--	महानीम, 128	50
--,,--	--,,--	बडियापानी, 184	50
धनोरा	--,,--	गुडा, 251	40
--,,--	--,,--	चाचरिया, 271	30
--,,--	--,,--	कडाईपानी, 255	30
धवली	--,,--	अडनदी, 74	50
--,,--	--,,--	अजगरिया, 106	50
--,,--	--,,--	सोनखेडी, 68	30
		योग . .	1000
		वर्ष 2009-10	
सेंधवा	2009-10	बकतरिया, 227	50
--,,--	--,,--	वाक्या, 245	30
--,,--	--,,--	नादीया, 234	30
--,,--	--,,--	उमरियापानी, 213	50
--,,--	--,,--	झिरपन, 236	30
--,,--	--,,--	गवाडी, 221	30
--,,--	--,,--	भूरापानी, 220	30
पानसेमल	--,,--	कालंबा, 59	30
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा, 67	30
--,,--	--,,--	मलगांव 32 MG	30
--,,--	--,,--	वायगौर, 12 बी. डब्ल्यू	30
--,,--	--,,--	भडभडा, 50 एम. एन.	50
--,,--	--,,--	चालीपीठा, 11 डी. एच.	30
--,,--	--,,--	मोहल्यापानी, 55 जीएच	30
धनोरा	--,,--	राजनगांव, 269	30
--,,--	--,,--	कडाईपानी, 264	30

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
धनोरा	2009-10	चाचरिया, 273	30
--,,--	--,,--	गुडा, 253	30
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 305	30
--,,--	--,,--	रामकुल्ला, 248	30
--,,--	--,,--	बडीयापानी, 183	50
--,,--	--,,--	जामठी, 140	50
वरला	--,,--	कोलकी, 204	50
--,,--	--,,--	डोकल्यापानी, 126	50
धवली	--,,--	अजगरिया, 117	40
--,,--	--,,--	टाक्यापानी, 109	30
--,,--	--,,--	खपाड़ा, 107	40
--,,--	--,,--	मोहनपुरा, 23	30
योग . .			1000
वर्ष 2009-10			
सेंधवा	2009-10	भंवरगढ, 224	15
--,,--	--,,--	खडक्या, 383	15
पानसेमल	--,,--	केवडीदेवडी, 46 एमएन	30
--,,--	--,,--	कामठीनाला, 10 डीएच	30
--,,--	--,,--	मोयदा, 69	50
--,,--	--,,--	अलखड, 76	30
--,,--	--,,--	करणपुरा, 13 बी. डब्ल्यू	50
--,,--	--,,--	बंधारा, 60	30
--,,--	--,,--	गोंदीकांचली, 79	30
--,,--	--,,--	ललवान्या, 46 पी. एल.	40
--,,--	--,,--	आमझिरी, 33 एम. जी.	30
धनोरा	--,,--	खापरखेडा, 337	30
--,,--	--,,--	इनायकी, 250	30
--,,--	--,,--	सिरवेल, 301	30
योग . .			440

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
		वर्ष 2010-11	
सेंधवा	2010-11	मोहरतमाल, 570	50
पानसेमल	--,,--	सांपखडकी, 750	130
--,,--	--,,--	मनकुई, 772	150
--,,--	--,,--	कामठीनाला, 717	150
--,,--	--,,--	चालीपीठा, 725	130
--,,--	--,,--	बायगौर, 733	100
--,,--	--,,--	करणपुरा, 742	130
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा, 784	120
--,,--	--,,--	मोयदा, 790	90
--,,--	--,,--	केवडी देवडी, 759	50
धनोरा	--,,--	किरचाली, 607	40
--,,--	--,,--	मुवास्या, 644	140
वरला	--,,--	डोगल्यापानी, 513	190
--,,--	--,,--	बाखली, 403	150
--,,--	--,,--	गुराड़पानी, 506	150
--,,--	--,,--	महानीम, 487	145
धवली	--,,--	458	0
--,,--	--,,--	खपाड़ा, 464	65
--,,--	--,,--	मोहनपुरा, 422	55
--,,--	--,,--	खपाडा, 433	70
--,,--	--,,--	धावडा, 442	50
सेंधवा	--,,--	उमरियापानी, 214	25
वरला	--,,--	जामठी, 141	25
सेंधवा	--,,--	खडक्या, 382	25
वरला	--,,--	सोलवन, 206	25
		योग . .	2255

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
समिति द्वारा वनक्षेत्रों में रोपण			
वरला	2010-11	बडियापानी, 183	5
--,,--	--,,--	कुंडिया, 191	5
--,,--	--,,--	हिगवा, 05	5
--,,--	--,,--	मालवन, 208	5
--,,--	--,,--	बाखली, 02	5
धनोरा	--,,--	कडाईपानी, 264	8
--,,--	--,,--	कामोद, 291	8
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 303	8
--,,--	--,,--	रामगढ़ी, 282	8
--,,--	--,,--	खपाडा, 104	8
--,,--	--,,--	अजगरिया, 117	8
--,,--	--,,--	जूनापानी, 68	8
पानसेमल	--,,--	मलगांव	5
--,,--	--,,--	करणपुरा	8
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा	8
--,,--	--,,--	चालीपीठा	5
--,,--	--,,--	सांपखडकी	8
--,,--	--,,--	आमझिरी	8
--,,--	--,,--	भडभडा	8
--,,--	--,,--	मनकुई	8
--,,--	--,,--	मोयदा	8
संधवा	--,,--	गवाड़ी, 222	8
--,,--	--,,--	मोहाला, 235	8
--,,--	--,,--	झिरपन, 241	8
योग . .			171
वर्ष 2011-12			
संधवा	2011-12	मोहरतमाल, 570	5
--,,--	--,,--	उमरियापानी, 573	30
--,,--	--,,--	खडक्या, 713	50
--,,--	--,,--	मोहरतमाल, 574	10

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
सेंधवा	2011-12	वाक्या, 604	10
--,,--	--,,--	बखरिया, 579	10
--,,--	--,,--	बघाड, 696	10
वरला	--,,--	कोलकी, 562	10
--,,--	--,,--	किरमला, 524	10
--,,--	--,,--	दुगानी, 484	10
--,,--	--,,--	सोलवन, 548	10
धवली	--,,--	जूनापानी, 425	10
--,,--	--,,--	धावडा, 444	10
धनोरा	--,,--	खापरखेडा, 676	10
--,,--	--,,--	सिरवेल, 677	10
--,,--	--,,--	केलपानी, 679	10
--,,--	--,,--	चाचरिया, 631	10
पानसेमल	--,,--	मनकुई, 769	10
--,,--	--,,--	मोयदा, 785	10
--,,--	--,,--	तालाब, 798	10
--,,--	--,,--	मलगांव, 741	10
योग . .			265
वर्ष 2012-13			
सेंधवा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण, साली कला 716	50.00
--,,--	--,,--	बांस रोपण, भंवरगढ़, 569	20.00
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, सालीकला 716	25.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार मोहरतमाल 571	35.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, भंवरगढ़ 585	60.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, जामन्या 700	30.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, वघाड़ 701	20.00
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण, तालाब 806	50.00
--,,--	--,,--	बांस वृक्षारोपण, मलगांव 741	20.00
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, तलाब 806	25.00
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, आमझिरी 749	50.00

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
पानसेमल	2012-13	बिगड़े वनों का सुधार चार्लीपीठा 718	110.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार चार्लीपीठा 726	160.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार बायगौर 734	100.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार करणपुरा 742	150.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार सॉपखडकी 752	89.70
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार केवडी देवडी 759	60.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार मनकुई 772	100.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार शिवनी पडावा 786	80.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार गोदीकाचली 799	100.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास पन्नाली 751	80.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	100.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खडीखम 792	116.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाब 805	42.00
धनोरा	--,,--	बॉस वृक्षारोपण गुडा 617	20.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 634	59.29
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 645	125.40
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कढाईपानी 619	10.006
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	10.00
वरला	--,,--	बॉस वृक्षारोपण सोलवन 565	20.00
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्दयापानी 187	50.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार महानीम 489	83.65
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार बडियापानी 542	68.35
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अम्बावतार 500	20.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार छत्रीपडावा 514	72.90
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास किरमला 525	40.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 549	25.00
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 561	44.80
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 404	30.00

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
वरला	2012-13	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 485	50.00
धवली	--,,--	बॉस वृक्षारोपण अजगरिया 472	20.00
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अड़नदी 430	55.10
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 441	76.95
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 443	73.37
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार खपाडा 460	7.00
		योग . .	2634.52
वर्ष 2013-14			
पानसेमल	2013-14	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 718	161.79
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 726	154.240
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना बायगौर 734	138.400
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मलगाव 743	202.740
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना सापखडकी 753	126.990
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना भडभडा 768	100.370
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहल्यापानी 773	80.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मांडीपाडवा 786	70.00
पानसेमल	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गोंदीकाचली 799	119.410
सैंधवा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहरतमाल 571	85.460
धनोरा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना राजनगाव 635	120.00
धवली	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अडनदी 431	105.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 435	99.940
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 451	89.250
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 459	63.710
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 466	71.110
वरला	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना ढोकल्यापानी 494	45.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गुराडपानी 506	60.86
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चिलारिया 515	70.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना डोगल्यापानी 530	87.800
पानसेमल	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास सापखडकी 751	209.970

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
पानसेमल	2013-14	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	172.890
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गोदीकाचली 800	118.740
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाव 806	74.160
सेंधवा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास उमरियापानी 575	74.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहाला 598	40.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 699	30.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 701	69.160
धनोरा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास केलपानी 682	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 684	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 690	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गुडा 615	71.810
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास राजनगाव 628	78.940
धवली	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास अडनदी 429	88.600
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास धवली 413	17.780
वरला	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 540	97.880
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 523	86.960
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 486	75.050
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 405	00.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 551	00.000
सेंधवा	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण भवरगढ 585	30 हे
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण करणपुरा 730	35 हे
वरला	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 547	35 हे
सेंधवा	--,,--	सागोन वृक्षारोपण भवरगढ 569	50.00
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण करणपुरा 729	50.00
वरला	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 187	50.00
योग . .			3608.01

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., सिनखेडी पोस्ट श्रीखंडी, तहसील सेगांव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रं. N. M. R. (K.R.G.N.)/1268/दिनांक 13 नवम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1099/दिनांक 27 जुलाई, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन द्वारा समिति का पुनर्जीवित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. प्रस्ताव में संस्था की आम सभा द्वारा विधिवत संस्था के एक इकाई के रूप में चलने की पूर्ण संभावना व्यक्त की गई है. इस बाबत एक कार्ययोजना तैयार कर संलग्न की गई है. कार्ययोजना का परिक्षण करने पर पता चलता है कि संस्था को यदि पुनर्जीवित किया जाता है तो इससे संस्था सदस्यों को रोजगार मिल सकेगा एवं संस्था एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य कर सकेगी. संस्था सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिसमापक द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव की अनुसंशा की गई है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिनखेडी, तहसील सेगांव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/1268, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक (श्री राजाराम भट्ट) सहकारी विस्तार अधिकारी सेगांव के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आम सभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी .—

1. श्री रायसिंग पिता जुवानसिंग	अध्यक्ष
2. श्री तुलसीराम पिता डोंगरसिंह	उपाध्यक्ष
3. श्री शोभाराम पिता मगन	संचालक
4. श्री कैलाश पिता झापू	संचालक
5. श्री रघुनाथ पिता नाकू	संचालक
6. श्री गणपत पिता मालसिंग	संचालक
7. श्री राकेश पिता सवरसिंग	संचालक
8. श्री दगडू पिता राल्या	संचालक
9. श्री भगवान पिता उंदरिया	संचालक

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सरस्वती रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पथराड, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन पंजीयन क्रं. N. M. R. (K.R G.N.)/1057 दिनांक 09 अगस्त, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1761/दिनांक 23 सितम्बर, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्रं./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(473-A)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

जय शिव रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., तूलगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रं. N. M. R. (K.R G.N.)/1120 दिनांक 21 मार्च, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1760/दिनांक 23 सितम्बर, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्रं./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(473-B)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलकबाडा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन पंजीयन क्रं. K.R G.N./163 दिनांक 18 जून, 1957 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./5050/दिनांक 05 फरवरी, 1972 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्रं./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(473-C)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./268, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 1991 के द्वारा उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, कोसरीटोला, पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 17 जनवरी, 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, कोसरीटोला, पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 17 जनवरी, 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, कोसरीटोला, पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 17 जनवरी, 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, कोसरीटोला, पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 17 जनवरी, 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(474)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/सपंबा/परि./2409, बालाघाट, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, जत्ता, पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, जत्ता, पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, जत्ता, पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, जत्ता, पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(474-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/सपंबा/परि./2413, बालाघाट, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोहारा, पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोहारा, पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोहारा, पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोहारा, पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(474-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/सपंबा/परि./2412, बालाघाट, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992, विकासखण्ड बैहर व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(474-C)

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	327/22-01-2003	1112/26-07-2013
2.	ए. पी. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	295/15-01-2001	778/23-05-2013

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

अजय दुबे,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(475)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	पवित्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	539/01-04-1991	3082/24-10-2007
2.	वैष्णवदेवी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	599/20-02-1996	6027/03-08-2004
3.	अमित गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	579/28-07-1994	2617/11-09-2007
4.	श्रीमद् गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	582/दि. . .	4529/28-08-2003
5.	समर्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	537/04-12-1989	8281/05-08-2003
6.	हरिजन आदिवासी सामुहिक कृषि, सामहा इन्दौर	365/28-03-1970	1463/13-04-1999

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
7.	रवि शंकर भूमिहीन हरिजन सामुहिक कृषि, इन्दौर	340/06-06-1970	480/04-02-2008
8.	गणेश श्रमिक सहकारी संस्था, बगोदिया खान	166/01-06-1989	840/13-02-2003
9.	हिन्दुस्तान प्लास्टिक सहकारी संस्था, इन्दौर	-	-
10.	श्रमिक कामगार सहकारी संस्था, सुकलिया	528/29-09-1978	10482/23-11-1969

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एस. एन. मेहता,
परिसमापक.

(479)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इंदौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1)(2)(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/829.—यह कि अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम-2 में वर्णित साख सहकारी संस्थाएं जिनका पंजीयन क्रमांक अनुसूची के कॉलम-3 में वर्णित है, का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा संस्था के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त करने के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

प्रस्ताव में वर्णित कारण अनुसार संस्था को कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी क्रमांक/परिसमापन/2013/13, दिनांक 01 जनवरी, 2013 जारी किया जाकर उसका प्रत्युत्तर 30 दिवस में चाहा गया था.

अनुसूची क्रमांक-1

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)
1.	अरण्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1827/08-04-1997
2.	अहिर स्वर्णकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1977/27-03-2000
3.	आपकी अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2097/20-07-2002
4.	अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	583/28-08-2001
5.	अजन्ता सुदामा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1126/30-12-1991

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)
6.	आदर्श अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1569/27-06-1994
7.	अग्रसेन मर्केटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1812/24-12-1996
8.	अम्बाई साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2015/12-12-2000
9.	अजाक्स साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2058/20-11-2001
10.	अभ्युदय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	844/25-03-1987
11.	आजाद हिंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1801/28-10-1996
12.	अभिनन्दन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	591/16-09-1981
13.	आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	588/24-07-1981
14.	अमानत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1905/25-07-1998
15.	अटल भारत मर्केटाइल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1973/02-09-2000
16.	अक्षय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2351/15-03-2007
17.	भगत सिंह साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2093/06-07-2007
18.	भारत सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1957/06-09-1999
19.	भाग्यलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1148/02-09-1992
20.	श्री बर्फानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2092/20-06-2007
21.	छावनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1133/10-03-1992
22.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	897/15-03-1989
23.	दौलतगंज एकता साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1593/18-07-1994
24.	दी व्यंकटेश साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1922/14-12-1998
25.	दी हिंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1726/24-05-1995

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित संस्थाओं के किसी भी सदस्य द्वारा विधि अनुसार सूचित होने के बाद भी निर्धारित समयवधि में उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे मुझे यह समाधान हो गया है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में वर्णित आरोप संस्था को मान्य हैं।

अतः मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है।

अतः मैं, जगदीश कनोज, उप आयुक्त सहकारिता, जिला इंदौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-2 के कॉलम-2 में वर्णित संस्थाओं का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत अनुसूची-2 के कॉलम-2 में दर्ज संस्था के लिये कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें।

अनुसूची क्रमांक-2

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	अधिकारी का नाम एवं पद (3)
1.	अरण्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
2.	अहिर स्वर्णकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
3.	आपकी अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
4.	अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
5.	अजन्ता सुदामा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
6.	आदर्श अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
7.	अग्रसेन मर्केटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
8.	अम्बाई साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
9.	अजाक्स साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
10.	अभ्युदय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
11.	आजाद हिंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
12.	अभिनन्दन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
13.	आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
14.	अमानत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
15.	अटल भारत मर्केटाइल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
16.	अक्षय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एस. एन. मेहता, सह. निरीक्षक
17.	भगत सिंह साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एस. एन. मेहता, सह. निरीक्षक
18.	भारत सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एस. एन. मेहता, सह. निरीक्षक
19.	भाग्यलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एस. एन. मेहता, सह. निरीक्षक
20.	श्री बर्फानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एस. एन. मेहता, सह. निरीक्षक
21.	छावनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
22.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
23.	दौलतगंज एकता साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
24.	दी व्यंकटेश साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
25.	दी हिंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(476)

इंदौर, दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1055.—हुकुमचंद मिल्स कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, इंदौर, पंजीयन क्रमांक-ए.आर./आई.डी.आर./277, दिनांक 12 फरवरी, 1965 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-2770, दिनांक 13 जुलाई, 1998 से परिसमापन में लाया गया था.

भंडार को पुनर्जीवित करने के लिये भंडार के परिसमापक श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया है. प्रतिवेदन से सहमत होकर यह पाया गया कि भंडार के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से भंडार का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/

पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत जनकार्य सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, इंदौर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये संस्था के सदस्य श्री मनीष विष्णु प्रसाद वर्मा, पता—मल्हारगंज, इंदौर एवं श्रीमति प्रेमलता, पता—मल्हारगंज, इंदौर की दो सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करें तथा भंडार की सदस्य संख्या 250 करें एवं अंशपूजी में रुपये 25,000/- सदस्यों से एकत्र करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(476-A)

इंदौर, दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1056.—नन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर, पंजीयन क्रमांक-डी.आर./आई.डी.आर./316, दिनांक 28 अगस्त, 1981 को परिसमापन आदेश क्रमांक/07/2171, दिनांक 06 अगस्त, 2007 से परिसमापन में लाया गया था. संशोधित परिसमापन आदेश क्रमांक/4380, दिनांक 26 अगस्त, 2010 से श्री रविकांत सांकल्ले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार उनके द्वारा बुलायी गयी आमसभा दिनांक 07 जनवरी, 2013 में उपस्थित सदस्यों ने अवगत कराया कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. अतः सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत नन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये संस्था के हेमंत पिता रमेश चंद मित्तल बर्हिगामी अध्यक्ष, पता—33, दलिया बाजार, इंदौर एवं हरि पिता शिवप्रसाद अग्रवाल, पूर्व संचालक, पता—कान्यकुब्ज नगर, इंदौर की द्विसदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(476-B)

इंदौर, दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1057.—जनकार्य सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, इंदौर, पंजीयन क्रमांक-ए.आर./आई.डी.आर./221, दिनांक 28 नवम्बर, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-2772, दिनांक 13 जुलाई, 1998 से परिसमापन में लाया गया था.

भंडार को पुनर्जीवित करने के लिये भंडार के परिसमापक श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया है. प्रतिवेदन से सहमत होकर यह पाया गया कि भंडार के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से भंडार का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत जनकार्य सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, इंदौर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये संस्था के सदस्य श्री विजय रामरतन वर्मा, पता—मल्हारगंज, इंदौर एवं श्रीमति निशा राघव, पता—मल्हारगंज, इंदौर की दो सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ.

कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करें तथा भंडार की सदस्य संख्या 250 करें एवं अंशपूजी में रुपये 25,000/- सदस्यों से एकत्र करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(476-C)

जगदीश कनोज,

उप आयुक्त, सहकारिता.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 17 अगस्त, 2011

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, सिन्दोडी	1807/21-11-1996	1703/18-08-2001	4906/16-09-2010
2.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, बिसनावदा	836/24-01-2002	6205/11-08-2004	4906/16-09-2010
3.	माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, पिण्डबर	823/24-08-2001	4566/04-09-2003	4906/16-09-2010
4.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गारीपिपल्या	818/23-07-2010	2484/31-08-2007	4906/16-09-2010
5.	निर्मला को-आ. हाउसिंग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	961/15-04-2004	1808/26-07-2007	-
6.	इन्दौर वायर कर्मचारी सहकारी साख संस्था, इन्दौर	396/20-05-1972	5511/31-12-1996	4906/16-09-2010
7.	परस्पर मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था, इन्दौर	1077/10-10-1977	5060/17-07-2003	4906/16-09-2010
8.	भण्डारी कामगार सहकारी साख संस्था, इन्दौर	915/05-01-1950	4317/27-08-1997	4906/16-09-2010
9.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., आम्बाचन्दन	383/03-11-1973	799/07-02-2003	4906/16-09-2010
10.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., जोशी गुराडिया	384	3921/28-06-1984	4906/16-09-2010
11.	हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सह. संस्था, उपरिया खुर्द	41/10-10-1962	1455/13-04-1999	4906/16-09-2010
12.	हरिजन भूमिहीन सामूहिक कृषि सह. संस्था, मण्डला दोस्तदार	333/30-01-1970	1469/13-04-1999	4906/16-09-2010
13.	सत्यम ईट भट्टा सहकारी संस्था, सांवेर	1224/12-02-1991	848/12-02-2003	797/18-02-2009
14.	तन्दुमय औद्योगिक बुनकर सहकारी संस्था, छोटी भमौरी	106/04-11-1960	-	4906/16-09-2010
15.	केवड़ा उद्योग सहकारी संस्था, देपालपुर	630/31-05-1958	3512/27-04-1976	4906/16-09-2010
16.	दलित वर्ग हड्डी खाद उद्योग सहकारी संस्था, इन्दौर	-	-	-
17.	रोलिंग मजदूर सहकारी संस्था, मर्या., इन्दौर	105/24-10-1960	845/12-02-2003	797/18-02-2009
18.	क्षिप्रा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, क्षिप्रा	-	1705/18-04-2001	4906/16-09-2010
19.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, नादेंड (महू)	-	6201/11-08-2004	4906/16-09-2010

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव अन्य किसी स्रोत से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां

परिसमापक में वेष्टित हो गईं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 17 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(478)

सुरेन्द्र जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश
1	2	3	4	5
1.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बावल्यारखुर्द	DR/IDR/125/26-03-1959	634/09-12-1994	27/13-01-2011
2.	कृषि विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	DR/IDR/656/17-12-1997	--	27/13-01-2011

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(480)

के. एम. स्वर्णाकार,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./व्यू.—कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 27 नवम्बर, 1987 है, को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 6752, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(481)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	उषागंज गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	445/06-07-1956	4449/23-08-2003
2.	राधा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	472/17-09-1997	1446/01-04-2003
3.	मिलन जी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	455/	4456/28-08-2003
4.	कन्धारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	460/14-10-1987	2621/11-09-2007
5.	सत्य ज्योति गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	468/16-11-1987	142/07-01-2005
6.	सी. बी. नवीन शिक्षिका गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., मऊ	456/29-06-1987	2137/26-05-2005
7.	प्रिया गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	517/28-02-1989	143/07-01-2005

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयवधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(481-A)

एफ. ए. खान,
परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./2012/4425, इन्दौर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्गामाता यातायात सहकारी संस्था मर्या., खुडेल बुजुर्ग, जिला इन्दौर	559/20-05-1992	3089/17-07-2003
2.	माँ दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., सुलाखेड़ी (मांगल्या), जिला इन्दौर	554/20-10-1992	8371/13-02-2003
3.	सनी यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर	555/13-11-1992	882/13-02-2003
4.	भारतीय यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर	550/10-03-1992	809/13-02-2003
5.	शुलभ यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर	542/03-07-1991	841/13-02-2003
6.	तन्तुनाम वैश्य औद्योगिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., छोटी भमोरी, जिला इन्दौर	106/04-11-1960	
7.	आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर	102/27-03-1953	5526/07-02-1972
8.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वाली पलासिया, महू, जिला इन्दौर	397/29-03-1956	467/26-08-1977

अतः मैं, एन. के. मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह समयक सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(482)

एन. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		4317/दि. 27-08-1997
2.	सर्वोदय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर		2618/दि. 17-04-1996
3.	आशामति सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., रिगवान		4317/दि. 27-08-1997
4.	गांधी शिल्पकार सहकारी संस्था मर्यादित		737/दि. 29-06-1966
5.	अचलेश्वर व्यवसायी उद्योग सहकारी संस्था, देपालपुर		10867/दि. 12-12-1969
6.	शासकीय कर्मचारी कैंटिन सहकारी संस्था		10433/दि. 29-12-1961
7.	आदर्श कुम्भकार सहकारी संस्था, एनाडी, इन्दौर		4894/दि. 21-09-1993
8.	अरुणोदय श्रमिक कामगार		452/दि. 24-01-2003
9.	जय माँ दुर्गे, महु (इन्दौर)		835/दि. 13-02-2003
10.	गणेश श्रमिक सह. संस्था, बडोदियाखान (सांवेर)		840/दि. 13-02-2003

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(483)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श नागरिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		4906/दि. 16-09-2010
2.	शासकीय कर्म. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		4906/दि. 16-09-2010

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(484)

जगदीश जलोदिया,
परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक, आनन्द विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 286, साकेत नगर, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आनन्द विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/422, दिनांक 28 अगस्त, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(492)

कार्यालय परिसमापक, प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 80, इमली बाजार, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/423, दिनांक 22 अगस्त, 1986 है, को उप-पंजीयक सहकारी, संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(492-A)

कार्यालय परिसमापक, टी. बी. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., टी. बी. हॉस्पिटल, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

टी. बी. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/426, दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, पद सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(492-B)

कार्यालय परिसमापक, श्री देवी अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 59/2 वीर सावरकर मार्केट, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री देवी अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/415, दिनांक 18 जून, 1985 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(492-C)

कार्यालय परिसमापक, एज्युकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., डेली कॉलेज कम्पाउण्ड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

एज्युकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/428, दिनांक 24 नवम्बर, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मैं, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(492-D)

कार्यालय परिसमापक, भारत सेवक समाज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 81, कैलाश पार्क, मल्हारगंज, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत सेवक समाज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/304, दिनांक 23 मई, 1981 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मैं, एस. एन. खण्डेलवाल, पद सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(492-E)

एस. एन. खण्डेलवाल,
परिसमापक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./10-11/733 ए, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा नीरा ताड गुड सहकारी समिति मर्यादित, करेली, पं. क्र. 405 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत नीरा ताड गुड सहकारी समिति मर्यादित, करेली, पं. क्र. 405, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूं।

आज दिनांक 18 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(477)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./10-11/733 ए, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहद, पं. क्र. 295 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहद, पं. क्र. 295, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूं।

आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(477-A)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./10-11/733 ए, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोदसा, पं. क्र. 344 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोदसा, पं. क्र. 344, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(477-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1316, होशंगाबाद, दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 के द्वारा श्रीराम यातायात सह. समि. मर्या., मोथिया साकेत, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2430, दिनांक 02 मार्च, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, व.स.नि., कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत श्रीराम यातायात सह. समि. मर्या., मोथिया साकेत, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(485)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साकेत, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2274, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साकेत, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(485-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौटा, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2213, दिनांक 26 सितम्बर, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौटा, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(485-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2284, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(485-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहरागाँव, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2253, दिनांक 10 सितम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहरागाँव, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(485-D)

अनिल कुमार,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, शहडोल

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2012/857.—जिले में स्थिति आदिवासी बहुधंधी सहकारी संस्था मर्या., पलसउ, पंजीयन 67, दिनांक 26 मई, 1981 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत बहुधंधी सहकारी संस्था मर्या., पलसउ, पंजीयन 67, दिनांक 26 मई, 1981 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरिट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486)

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2012/858.—जिले में स्थिति संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., निपनिया, पंजीयन 04, दिनांक 07 अक्टूबर, 1957 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., निपनिया, पंजीयन 04, दिनांक 07 अक्टूबर, 1957 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरिट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-A)

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2012/859.—जिले में स्थिति सेवा सहकारी समिति मर्या., गोहपारू, पंजीयन 291, दिनांक 09 जून, 1962 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत सेवा सहकारी समिति मर्या., गोहपारू, पंजीयन 291, दिनांक 09 जून, 1962 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-B)

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2013/94.—जिले में स्थिति आदर्श चावल उद्योग सहकारी समिति मर्या., रसमोहनी, पंजीयन 461, दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदर्श चावल उद्योग सहकारी समिति मर्या., रसमोहनी, पंजीयन 461, दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 18 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-C)

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2013/95.—जिले में स्थिति थिप्ट क्रेडिट सहकारी समिति मर्या., रूगटा कालरी, सोहागपुर, पंजीयन 640, दिनांक 10 अक्टूबर, 1967 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत थिप्ट क्रेडिट सहकारी समिति मर्या., रूगटा कालरी, सोहागपुर, पंजीयन 640, दिनांक 10 अक्टूबर, 1967 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-D)

बी. एस. परते,
उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया

उमरिया, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला उमरिया के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कालरी कर्मचारी थिफ्ट क्रेडिट सहकारी समिति मर्या., बीरसिंहपुर (पाली)	561/08-02-1966	651/23-11-2011
2.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., सेमरिहा	86/25-09-09	693/09-12-2011

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम-1962, के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियाँ स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला उमरिया में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा। यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/ पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ व अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें। अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(487)

उमेश कुमार तिवारी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2012/2009.— कार्यालयीन आदेश क्र/उपछि/परिसमापन/2012/1987, छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के अनुसार निम्न कॉलम नम्बर 2 में दर्शित पाँच समितियों का पंजीयन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया था :-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट.	249/25-09-1990	695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सह. निरी.
2.	आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ग्वारा.	670/29-11-2005	695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सह. निरी.

1	2	3	4	5
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारंगबिहारी.	90/01-10-1984	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोहनाखैरी.	113/12-08-1986	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तंसरामाल.	258/05-11-1990	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.

उपरोक्त वर्णित क्रमांक 4 में दर्शित समिति तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोहनाखैरी के स्थान पर तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीसापुरकला पढ़ा जावे. संशोधन उपरांत क्रमांक 4 निम्नानुसार होगा :-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट.	249/25-09-1990	1695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सह. निरी.
2.	आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ग्वारा.	670/29-11-2005	1695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सह. निरी.
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारंगबिहारी.	90/01-10-1984	1695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीसापुरकला	113/12-08-1986	1695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तंसरामाल.	258/05-11-1990	1695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सह. निरी.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(488)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मण्डल शास. कर्म. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., शिवपुरी	182/	2391/11-12-2012
2.	मुद्रण एवं प्रकाशन सह. समिति मर्या., शिवपुरी	86/28-03-1966	2403/11-12-2012

1	2	3	4
3.	आदर्श खाद बीज सह. भण्डार मर्या., शिवपुरी	168/11-07-1995	2405/11-12-2012
4.	हरिजन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	767/23-05	2404/11-12-2012

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 2 P. M तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

श्री. आर. डण्डोतिया,
परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

(489)

कार्यालय परिसमापक, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बीलारा, जिला शिवपुरी

दिनांक 28 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-1.—मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बीलारा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 17 मार्च, 2003 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 233, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 28 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

श्री. डी. अग्रवाल,
परिसमापक.

(491)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 14 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीजी डोनोमाईट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	516/05-12-1983	435/16-09-2010
2.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., च. शे., आजादनगर	1000/29-03-06	448/18-10-2012

अतः मैं, कमलसिंह गाडें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयवाधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की

कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(490)

कमलसिंह गार्डे,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी

सिलवानी, दिनांक 15 जनवरी, 2013

क्र./56.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के आदेश क्र./परि/10/533, दिनांक 17 मार्च, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी	768, दि. 06-04-2002	10/533, दि. 17-03-2011

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 15 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(493)

निशांत श्रीवास्तव,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापन समिति के नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज	555/18-03-1994	330/24-04-2012
2.	ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था, बेगमगंज	883/09-08-2004	1126/30-07-11

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(494)

डी. के. गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला गुना

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/588.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मधुसूदनगढ़.

पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 15 जनवरी, 2003, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/589.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

फौजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, राधौगढ़.

पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 06 अगस्त, 1996, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.

3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- A)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/590.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 01 अप्रैल, 1981, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- B)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/591.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, उकावद.

पंजीयन क्रमांक 1136, दिनांक 06 सितम्बर, 2008, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-C)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/592.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

दि गुना गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 30 जून, 1980, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- D)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/593.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

माँ शक्ति महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, गुना.

पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 26 मई, 2006, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- E)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/594.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

दिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 07 अगस्त, 1987, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-F)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/595.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, विसोनिया.

पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 09 सितम्बर, 2004, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495- G)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/596.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, ख्यावदा.

पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 06 अक्टूबर, 2004, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495- H)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/597.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

सरदार फल-सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 873, दिनांक 02 मई, 1998, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-I)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/598.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, परसोदा.

पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 17 मार्च, 2003, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- J)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/599.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नठाई.

पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 02 सितम्बर, 2002, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- K)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/600.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, जखोदा.

पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 17 मार्च, 2003 जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-L)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/601.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सुन्दरखेडी.

पंजीयन क्रमांक 1131, दिनांक 24 जून, 2008, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495- M)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/602.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पीलाघाटा.

पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 07 मार्च, 1995, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495- N)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/603.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गढा.

पंजीयन क्रमांक 768, दिनांक 30 मार्च, 1995, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-O)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/604.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

मछुआ सहकारी संस्था, बजरंगगढ़.

पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 04 जनवरी, 2000, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- P)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/605.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

एक्सन बैटरी उद्योग सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- Q)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/606.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

अन्त्योदय ईटभट्टा सहकारी संस्था, बमोरी.

पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 21 जुलाई, 1993, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-R)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/607.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

पर्व किसान दलहन बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 30 मई, 2003, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- S)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/608.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

हरिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, हरिपुर.

पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 08 मई, 2002, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- T)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/609.

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

राजस्व कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 18 दिसम्बर, 2005, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-U)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/610.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

आदिवासी मल्लुआ सहकारी संस्था, गोपालपुरा.

पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 14 सितम्बर, 2010, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- V)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/611.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

जय दुर्गे बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना.

पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 31 मार्च, 2011, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495- W)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/612.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

भारतीय महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार, गुना.

पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(495-X)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/613.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

मछुआ सहकारी संस्था, बमोरी.

पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495-Y)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/614.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

सामान्य मछुआ सहकारी संस्था, राधौगढ़.

पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 01 नवम्बर, 1994, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(495-Z)

दिनांक 30 मई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/615.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महकाल सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, गुना.

पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 14 मार्च, 2005, जिला गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(496)

उमेश कुमार तिवारी,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/385.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिरचिरा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./650, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिरचिरा, पंजीयन क्रमांक 417 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/386.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमगांव को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./258, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमगांव, पंजीयन क्रमांक 443 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-A)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/387.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैथाराव को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./257, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैथाराव, पंजीयन क्रमांक 747 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-B)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/388.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटेलारी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./651, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटेलारी, पंजीयन क्रमांक 596 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-C)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/389.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मंडीकांचना को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1864, दिनांक 31 जुलाई, 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मंडीकांचना, पंजीयन क्रमांक 678 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-D)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/390.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरेला को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./648, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरेला, पंजीयन क्रमांक 380 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-E)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/391.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डूंडासिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डूंडासिवनी, पंजीयन क्रमांक 393 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-F)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/392.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोथिया को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोथिया, पंजीयन क्रमांक 388 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-G)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/393.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दमड़ी कोहका को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दमड़ी कोहका, पंजीयन क्रमांक 467 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-H)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/394.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बादलपार को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1009, दिनांक 18 अगस्त, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बादलपार, पंजीयन क्रमांक 449 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-I)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/395.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोपा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोपा, पंजीयन क्रमांक 378 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-J)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/396.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./646, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव, पंजीयन क्रमांक 381 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-K)

सिवनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./उपसि./परि./12/397.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकाबाड़ा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./647, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री नजमुद्दीन, व्ही. ई. ओ. को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकाबाड़ा, पंजीयन क्रमांक 382 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497-L)

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

मण्डला, दिनांक 18 मार्च, 2013

क्र./सपमं./परि./2013/302.—शंकरगंज मछुआ सहकारी समिति मर्या., चंदेहरा, पं. क्र. 639, दिनांक 14 मार्च, 1993 वि. ख. नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपमं/2008/886, दिनांक 27 सितम्बर, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 26 फरवरी, 2013 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ/देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 18 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(467)

जी. पी. सोनकुसरे,
सहायक रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013-भाद्र 29, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 जून, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील गुना, बमोरी (गुना), सिरमोर, हजूर (रीवा), बांधवगढ़ (उमरिया), मानपुर, मल्हारगढ़ (मंदसौर), महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, कालापीपल (शाजापुर), जोवट, कट्टीवाड़ा, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), कुक्षी (धार), सेंधवा, वरला (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, व्यावरा (राजगढ़), नसरुल्लागंज (सीहोर), भैंसदेही, आठनेर (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, परासिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मंदसौर (मंदसौर), बड़नगर (उज्जैन), अलीराजपुर (अलीराजपुर), मनावर, धरमपुरी (धार), राजपुर, निवाली (बड़वानी), सारंगपुर (राजगढ़), हजूर (भोपाल), आष्टा (सीहोर), बिछुआ (छिन्दवाड़ा), घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील शाजापुर (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), धार, गंधवानी (धार), बड़वानी, ठीकरी, पाटी, अंजड (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सरदारपुर (धार), पानसेमल (बड़वानी), पांडुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला टीकमगढ़, रीवा, अनूपपुर, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला सीधी, अलीराजपुर, बड़वानी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला हरदा में फसल मूँग की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05 जून, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुँरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..				
3. मुँरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	5.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2)	
3. बमोरी	6.0				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
*जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		प्याज समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	6.2				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	4.3				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्तुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	26.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	8.5				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	16.8		(2)	
3. मल्हारगढ़	5.0				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	29.0				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्डका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	14.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	10.0				
4. घटिया	9.0				
5. उज्जैन	11.0				
6. बड़नगर	22.0				
7. नागदा	14.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	2.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	53.0				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	7.0				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	42.0		4.(1) गन्ना, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. कछीवाडा	12.0		(2) ..		
3. अलीराजपुर	25.0				
4. सोण्डवा	45.0				
5. चन्द्रशेखर आजाद नगर	17.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	56.0		(2) ..		
3. धार	50.7				
4. कुक्षी	1.4				
5. मनावर	19.0				
6. धरमपुरी	19.0				
7. गंधवानी	49.0				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..		(2) ..		
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	44.8		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	38.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	27.0				
4. सेंधवा	10.0				
5. पानसेमल	72.0				
6. पाटी	42.0				
7. निवाली	29.4				
8. अंजड	38.0				
9. वरला	10.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	11.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	6.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	5.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	2.0				
4. ब्यावरा	0.6				
5. सारंगपुर	17.5				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	16.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	32.0		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	12.0				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	7.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	13.3				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	7.7				
4. मझौली	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.7		अलसी, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	17.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	6.8				
5. घुघरी	6.1				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	5.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	2.6				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	16.0				
6. पांडुर्णा	58.2				
7. अमरवाड़ा	9.2				
8. चौरई	13.9				
9. बिछुआ	21.6				
10. हरई	6.4				
11. मोहखेड़ा	8.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	1.0		4. (1) मूँग, उड़द, मूँगफली, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	2.0				
5. कुरई	0.5				
6. घंसीर	..				
7. धनोरा	18.5				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लौंजी	..		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, पन्ना, सतना, शहडोल, प. निमाड़ व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(469)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.